संख्या–22–XXXVI(1)/2011–237जी/2001

प्रेषक,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव न्याय एवं प्रमुख विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में

महाधिवक्ता,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक09 फरवरी, 2011

विषय– महाधिवक्ता कार्यालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढाया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–10XXXVI(1)–एक/2010–237 जी–/2001 दिनांक 02 फरवरी, 2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि श्री राज्यपाल, महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखण्ड के लिए सृजित 08 अस्थायी पदों (सहायक अधिक्षक 01 पद, प्रवर वर्ग सहायक 04 पद तथा अवर वर्ग सहायक 01 पद और अनुवादक द्विभाषीय के 02 पद) की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जांए दिनांक 01.03.2011 से 29.02.2012 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या–10–एक(6)/छत्तीस(1)न्याय विभाग/04 दिनांक 06.08.2004 एवं शासनादेश संख्या–100 सी०एम०/XXXVi(1)/2007 दिनांक 08.4.2008, तथा शासनादेश संख्या–163/XXXVi(1)/2010, दिनाक 04.10.2010 द्वारा किया गया था।

2– उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक के अनुदान से संख्या–04 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक " 2014 -न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–03–महाधिवक्ता–00" के अर्न्तगत सुसगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–1270/76–दस, दिनांक 20 जुलाई 1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–2–877/दस–92–24(8)/92 दिनांक 7.11.92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अर्न्तगत प्रसारित किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या–22(1)XXXVI(1)/2011–तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी नैनीताल।
3– वित्त अनुभाग–5/ कार्मिक अनुभाग/एन0आई0सी0/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव ।